रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4618] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2018/अग्रहायण 6, 1940
No. 4618] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2018/ AGARHAYANA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5839(अ).—यतः, मै. एम. पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि0 ने मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का. आ. 1899(अ) दिनांक 2 नवम्बर, 2006 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 7.99 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. एम. पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि0 ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.86 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके पत्रों सं. 17-07/2018/ए-11 दिनांक 20.07.2018 तथा 17-07/2018/ए-11 दिनांक 30.10.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, इंदौर विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.86 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में खण्डवा रोड़, भंवरकुआ, इंदौर में विशेष आर्थिक जोन में से 1.86 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 6.13 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	155 (पार्ट)	1.35
2.	154 (पार्ट)	0.51
कुल		**1.86**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		**6.13**

[फा. सं. एफ. 2/37/2005–एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O. 5839(E).— Whereas, M/s. M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology & Information Technology Enabled Services at Indore in the State of Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 7.99 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1899(E) dated 2nd November, 2006;

AND, WHEREAS, M/s. M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited has now proposed for de-notification of 1.86 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Madhya Pradesh has given its approval to the proposal vide letters No. 17-07/2018/A-11 dated 20.07.2018 and 17-07/2018/A-11 dated 30.10.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Indore Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.86 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 1.86 hectares** at Khandwa Road, Bhanwarkuan, Indore in the State of Madhya Pradesh, thereby making resultant area as **6.13 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	155 (P)	1.35
2.	154 (P)	0.51
	Total	**1.86**
Grand Total Area of SEZ after above deletion		**6.13**

[F. No. F.2 /37/2005-SEZ]

B.B. SWAIN, Add. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.28 17:59:22 +05'30'